

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष

आवेदन-पत्र

मृतक श्री /श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी
.....जाति निवासी तहसील
जिला

1. मृतक की उम्र वर्ष ।
2. मृत्यु होने का पूर्ण कारण
3. मृतक क्या करता था
4. मृतक के परिवार का विवरण :-

क्रमांक	नाम सदस्य	उम्र	सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
5. सहायता प्राप्तकर्ता का नाम सम्बन्ध
6. मृत्यु दिनांक एवं स्थान.....
7. सहायता दिया जाना औचित्य पूर्ण है अथवा नहीं.....
8. आय का स्रोत
9. मृतक का परिवार बी पी एल चयनित है
10. प्रार्थना को पूर्व में किसी प्रकार की सहायता स्वीकृत की गई है अथवा नहीं स्पष्ट उल्लेख करें
11. पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस की एफ आर आई , नकल राशन कार्ड तथा मौका रिपोर्ट दस्तावेज सलग्न है तो उल्लेख करें सलग्न है।
12. प्रार्थी की वार्षिक आय

प्रार्थी के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

कार्यालय:—थानाधिकारी, पुलिस थाना.....जिला जोधपुर

क्रमांक / 2014.....

दिनांक:—

संतुष्टि प्रमाण पत्र

पुलिस थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या
दिनांक..... अन्तर्गत धारा.....

के संदर्भ में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पति/पिता श्री..... जाति..... उम्र.....

निवासी.....

की दिनांक.....

को..... (दुर्घटना का प्रकार) में मृत्यु होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने एवं अनुसंधान अधिकारी को उक्त की मृत्यु के कारणों के बाबत कोई संदेह नहीं होने एवं परिजनों द्वारा मृतक का पोस्टमोर्टम नहीं करवाने का प्रार्थना-पत्र पेश करने से मृतक का पोस्टमोर्टम की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से पोस्टमोर्टम नहीं करवाया गया।

दिनांक.....

हस्ताक्षर थानाधिकारी

मय मोहर

प्राथी क हस्ताक्षर

सेवामें,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
बालेसर

विषय:- दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल/मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता की राशि स्वीकृत करवाने बाबत।

मान्यवर जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपसे निवेदन है कि मैं स्वयं या मेरे माता/पिता/भाई/पुत्र श्री का दिनांक को सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो गया/या घायल होने के बाद में दिनांक को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सड़क दुर्घटना गाड़ी नम्बर से चालक द्वारा तेज व लाफरवाही से जोरदार टक्कर मारने से हो गई/घायल हो गया तथा दुर्घटना के बाद उनके आश्रितों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है मुझे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

अतः प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में पेशकर निवेदन है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता की राशि दिलाने का आदेश फरमावे।

दिनांक

भवदीय

स्थान

प्रार्थी पुत्र/पत्नि श्री
जाति उम्र निवासी
मौ. नम्बर

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार बालेसर (जोधपुर)

कमाक / मु.म. / सहायता / 2014 /

दिनांक :-

प्रेषित:- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय आपदा प्रबंधन एवं सहायता

जोधपुर (राज.)

विषय:- मृतक / घायल के आश्रिता को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निम्न क को
पुत्र श्री जाति ग्राम तहसील
बालेसर जिला जोधपुर कि सडक दुर्घटना से मृत्यु हो गयी।

मृतक के आश्रित पत्नि / माता द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र पेश किया बाद जाच प्रकरण इस पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमानजी कि सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है

संलग्न-

1. मृतक / घायल के आश्रित का आवेदन पत्र
2. पटवारी हल्का की मौका जाच रिपोर्ट
3. एफ .आई .आर .कि। प्रति
4. पोस्टमार्टम रिपोर्ट / सतुष्टि प्रमाण पत्र
5. बैंक पास बुक कि छाया प्रति , राशन कार्ड कि छाया प्रति
6. मृत्यु प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र

आय का स्वयं उद्घोषणा पत्र

फोटो (विद्यार्थी होने पर पिता का फोटो)

—: शपथ पत्र :—

मैं पुत्र/पत्नी श्री जाति
उम्र वर्ष निवासी तहसील जिला जोधपुर सत्य के साथ
आय की उद्घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. यह है कि मैं पेशे से कार्य करता/करती हूँ तथा इसके अलावा मेरे पास किसी भी प्रकार के आय का स्रोत नहीं है उपरोक्त पेशे से मुझे वार्षिक आय (अक्षर:-) प्राप्त होती है। मैं आयकर / देता / नहीं देता हूँ।
2. यह है कि मेरी उपरोक्त लिखित आय सत्य एवं सही है तथा मैं भविष्य में शपथपत्र पर पाबन्द व जिम्मेदार रहूंगा। मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है।
3. मेरे द्वारा शपथपत्र का भलीभांती अध्ययन कर लिया गया है। शपथ पत्र की मेरे द्वारा पुर्ति की गई है तथा शपथ पत्र में दी गई समस्त सूचनाओं के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।

शपथकर्ता

तस्दीक:-

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि मेने जो जानकारी शपथपत्र में दी है वह पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है इसका कोई भी तथ्य मैंने जानबूझ कर छिपाया नहीं है अतः ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

शपथकर्ता

प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति:- मैं पुत्र/पत्नी श्री
जाति निवासी पद विभाग

(सरपंच)

द्वितीय उत्तरदायी व्यक्ति:- मैं पुत्र/पत्नी श्री
जाति निवासी पद विभाग

(द्वितीय उत्तरदायी व्यक्ति)

दिनांक

नोट:- अभिषंशा करने वाले व्यक्ति :- सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, डॉक्टर, प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, पंचायत समिति सदस्य, ए एनम, आईन, जेईन, विकास अधिकारी, शिक्षाअधिकारी, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, ससंद सदस्य, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगर निगम सदस्य आदि।

सहायता हेतु चाही गई सूचना

कर्म	बैंक पासबुक अनुसार लाभान्वित खाता धारक	बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	IFSC कोड	पैन कार्ड	मोबाइल नम्बर

नोट : 1. उपर सूचना के सभी विवरण अंग्रेजी में अंकित करें ।

2. बैंक पास का प्रथम पृष्ठ जिस पर खाता विवरण अंकित हो, संलग्न करें ।

3. पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें ।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

लाभान्वित खाताधारक

संबन्धित उपखण्ड अधिकारी